

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाइमेर

राजस्व आवेदन सं. 68/2019 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मोरकंवर बनाम अमृता वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

प्रार्थिनी वकील – श्री मोहनसिंह सोढा

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय

दिनांक – 31.03.2021

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा नवातला जेतमाल में खेत खसरा सं. 599/11 रकबा 18.00 बीघा पटवार क्षेत्र नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थिनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थिनी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थिनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थिनी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थिनी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थिनी ने सीमाज्ञान/पैमाईश रिपोर्ट पेश की। वकील प्रार्थिनी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थिनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिनी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थिनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिनी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा नवातला जेतमाल में खेत खसरा सं. 599/11 रकबा 18.00 बीघा पटवार क्षेत्र नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से एवं किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थिनी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थिनी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुटाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 265

दिनांक 31/03/2021

प्रार्थनी :-

1. मोरकंवर पत्नि सवाईसिंह
जाति राजपूत, निवासी नवातला जैतमाल
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. अमृता पत्नि जेठाराम जाति भील,
निवासी देदूसर 2. अमराराम पुत्र तुलछाराम,
जाति जाट
3. ग्राम पंचायत नवातला जरिये सरपंच
4. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 68/2019

दिनांक : 31.03.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नवातला जैतमाल के मौजा नवातला जैतमाल के खेत खसरा सं. 599/11 रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 266 to 269

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनी मोरकंवर
3. विप्रार्थीगण अमृता वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 31/03/2021

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन